Through Speed Post

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी, ग्रेटर नोयडा औधोगिक विकास प्राधिकरण
भूखण्ड संख्या–01, सैक्टर नॉलेज पार्क–4
ग्रेटर नोयडा, उत्तर प्रदेश, पिन–201310

61588
08/9/22

विषयः–सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जानकारी चाहने वावत प्रार्थना पत्र।

महोदय,

उत्तर प्रदेश औधोगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा–10 के अर्न्तगत नोटिस जारी किये गये है एवं अनुसची–1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नोयडा औधिगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित होने के संबध में, अनुसूची–2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण करने तथा समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पडने के संबध में अवगत कराया गया है अतः उल्लेखित संबध में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत **ग्रम–देवला, खसरा सख्या–502, तहसील–दादरी, जिला– गोतमबुद्व नगर, उत्तर प्रदेश** के संबध में निम्नलिखित सूचना पैरावाईज उपलब्ध करवाने की कृपा करेः–

1. दिनॉक 21.10.2011 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के Judgement अनुसार ग्राम देवला की भूमि का अधिग्रहण रदद किया जा चुका है, पुनः ग्रम देवला खसरा संख्या 502 की भूमि का अधिग्रहण किस प्रयोजन हेतु किया जाना है ?
2. श्रीमान तह. महोदय के आदेश दिनॉक 11.09.2013 के क्रम में न्यायालय उपज़िलाधिकारी दादरी के पत्रांक संख्या–865/रीडर–एस0डी0एम0 दादरी/14 दिनॉक 11.09.2013 वाद संख्या–111/12–13 के अनुसार खसरा 502 की भूमि को अकृषिक भूमि प्रख्यापित किया जा चुका है फिर उत्तर प्रदेश औधोगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा–10 के अन्तर्गत नोटिस सभी को जारी क्यो किये जा रहे है ?
3. अनुसूची–1 तथा अनुसूची–2 के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र है तो दादरी तहसील में आवासीस स्टॉम्प शुल्क वसूलकर उक्त भूखण्ड की आवासीय प्लाटों में रजिस्टी/ दाखिलखारिज (Mutation) क्यो की जा रही है, तथा आवासीय स्टाम्प शुल्क अदा न करने पर स्टाम्प चोरी का मुकदमा क्यो चलाया जा रहा है ?
4. क्या आपके कार्यालय द्वारा जनता को जागरूक करने हेतु तथा उक्त भूखण्ड की आवसीय प्लॉटो में की जा रही रजिस्टी/ दाखिलखारिज (Mutation) को रोकने की कारवाई क्यो नहीं की गयी तथा तहसील दादरी में किसी भी प्रकार का नोटिस बोर्ड चस्पा क्यो नहीं किया गया ?
5. जब यह अधिसूचित भूमि है तो बैक से लोन दिलवाने हेतु तहसील द्वारा सत्यपान रिपोर्ट क्यो लगाई जा रही है ?
6. उल्लेखित खसरा संख्या में लगभग पिछले 20 वर्षो से 90प्रतिशत आवादी के द्वारा अपनी जमापूंजी तथा विभिन्न बैको से लोन लेकर गृह निर्माण कराया गया है, गृह निर्माण कार्य को रोकने के संबध में ग्रेटर नोयडा औधोगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा 20 वर्षो से अबतक कारवाई क्यो नहीं की गयी ?
7. खसरा संख्या–502 में किसी के भी द्वारा मुआवजा लिया गया है या मुआवजा Treasury में जमा कराया गया है ?
8. खसरा संख्या–502 में किये गये गृह निर्माण कार्य से ग्रेटर नोयडा औधोगिक विकास प्राधिकरण के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितो पर किस प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है एवं पडने की सम्भावना है ? के संबध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने की कृपा करें ?

2. अतः महोदय उल्लेखित संबध में अनुरोध है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में प्रत्येक पैरा के संबध में विस्तृत सूचना/ जानकारी उपलब्ध करवाने की कृपा करें, प्रार्थी महोदय का आपका अभारी रहेगा।

संलग्न पोस्टल आर्डर संख्या–......52F 028539...... **(10 रूपये मात्र)** दिनॉकः– **06 सितम्बर 2022 है।**

दिनॉकः– **06 सितम्बर 2022।**

PIO Land
9/9/22

PIO (Land)
ZTF. 21008
9-9-22

Sunil Kumar
06/09/2022

प्रार्थी
सुनील कुमार चौहान
मकान संख्या–1031, टाईप–1, सैक्टर–1,
आर0के0पुरम, नई दिल्ली–110022
मोब.:–9868481480, 8826239460.